फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2016/00050 बअनवान तहसीलदार बाली बनाम जितेन्द्र कुमार वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पीछे हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण तहसीलदार बाली के आवेदन पत्र पर दिनांक 24.02.2016 को पंजीबद्ध कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। न्यायालय के नोटिस तामील हाने के पश्चात दिनांक 15.12.2016को अप्रार्थी सं 6, 7, 8 की ओर से अप्रार्थी सं 8 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा खरीदसुदा भूमि को संपरिवर्तन करवाने के लिये तहसीलदार बाली को आवेदन किया था। जिसमें तहसीलदार बाली के आदेश की पालना में चालान नंबर 319, चालान नंबर 321, चालान नंबर 324 दिनांक 31.08.1999 के जरिये राशि राजकोष में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप चालानों की फोटोप्रतियां तथा भूमि को आबादी में संपरिवर्तित कराये जाने के लिये ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा दिनांक 21.05.1994 को जारी एनओसी की प्रति पेश की गई। प्रकरण में वर्णित शेष अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की तलबी प्रकरण में अवशेष रहने से कार्यावाही नही हुई। यद्यपि अप्रार्थी सं 2 का नोटिस दिनांक 14.09.2016 की आदेशिका अनुसार तामीलसुदा प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थी सं 2 दिनांक 14.09.2016 को न्यायालय में एक बार उपस्थित भी हुआ था, परंतू उसके पश्चात आदिनांक तक अप्रार्थी सं 2 वकालतन/असालतन उपस्थित नही होने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुये अप्रार्थी सं 1 से 5 की तलबी हेतु पुनः नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.12.2024 की नियत पेशी के नोटिस समस्त अप्रार्थीगण के लेने से इनकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से अप्रार्थी सं 1 से 5 के नोटिस के प्रोपर तामील मानी जाती है। अप्रार्थी सं 1 से 5 बावजूद नोटिस तामील के दिनांक 20.12.2024 तथा उसके बाद की नियत पेशीयों पर आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण में अप्रार्थी सं 6 से 7 का जवाब व्यक्तिशः प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 15.12.2016 के पश्चात उपस्थित नही होने तथा अप्रार्थी सं 1 से 5 बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन रहने से प्रार्थी पैरोकार सरकार की प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस एवं अप्रार्थी सं 6 से 8 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 162/3 रकबा 1.60 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। परंतू मौके पर वादग्रस्त भूमि का उपयोग भू–खण्ड काट कर दुकानों व मकानों के रूप में प्रयोग में लेकर अकृषि प्रयोजन उपयोग किया जा रहा है। वर्णित भूमि का अप्रार्थी व अन्य खातेदारान जो कि कृषि भू–खण्डों की खरीद के बाद खातेदार हुये है, वर्णित भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग/उपभोग कर रहे है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधनों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 162/3 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म जाव दोयम व चाही दोयम को राजकीय सिवायचक घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति पटवारी हल्का मुण्डारा व तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner